न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. हिन्दुसिंह पुत्र तनसिंह उम्र 58 वर्ष 2. गुमानसिंह पुत्र तनसिंह उम्र 51 वर्ष राजपूत निवासी भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम1.किस्तूरचन्द पुत्र हस्तीमल उम्र 58 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी कवास रेल्वे स्टेशन तहसील व जिला बाड़मेर(राज.) 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2011 बअनवान हिन्दुसिंह वगैरह बनाम किस्तुरचन्द वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.07.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भुरटिया के खेत खसरा संख्या 443 रकबा 66.06 बीघा, खसरा संख्या 437 रकबा 22.09 बीघा, खसरा संख्या 445 रकबा 62.05 बीघा भूमि पूर्वज व अपीलांटगण के दादा शक्तिसिंह की खातेदारी की आई हुई थी तथा उक्त खसरों का पर्चा लगान पूर्वज शक्तिसिंह के नाम जारी होकर खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 में नाम दर्ज हुआ था। पूर्वज व दादा शक्तिसिंह के फौत होने पर उक्त खसरों की भूमि अपीलांटगण के पिता तनसिंह अकेलों का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ था,जबकि अपीलांटगण संख्या 01 व 02 का नाम भी तनसिंह के साथ था। उक्त खसरों की भूमि में तनसिंह के जीवनकाल में अपीलांटगण संख्या 01 व 02 का भी बराबर हक 1/3–1/3 हिस्सा कानूनी बनता था। अपीलांटगण के पिता एवं अपीलांटगण का सहदायिक हिन्दु परिवार होने से प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक व कब्जा होता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की शामलाती भूमि थी। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण के पिता तनसिंह को ग्राम भुरटिया के खेत खसरा संख्या 445 रकबा 62.05 बीघा मे से 49.11 बीघा भूमि अपीलांटगण की बिना सहमति के, बिना बंटवाड़ा करवाये एवं बिना परिवार के वैधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवश्यकता व लाभ के विशेष भू–भाग को रेस्पोडेंट संख्या 01 को बेचने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 01 किस्तूरचन्द को किया गया बेचान दिनांक 20.07.1987 में अपीलांटगण पक्षकार नहीं होने उक्त बेचान अपीलांटगण के अधिकारों के प्रति अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिससे अपीलांटगण पाबन्द व जिम्मेवार नहीं है। अपीलांट ने इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी द्वारा जबावदावा दिनांक 10.05.2012 को पेश किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा पेश जबाव का जबाबउलजबाब प्रस्तुत करने हेतु अपीलांटगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 सी पी सी का दिनांक 10.03.2016 को पेश किया गया तथा पत्रावली दिनांक 18.05.2016 को उक्त प्रार्थना–पत्र के जबाव व बहस में रखी गई। दिनांक 18.05.2016 को कोई ऑर्डरशीट नहीं लिखी गई और पत्रावली को अपीलांटगण को बिना नोटिस दिये, बिना बताये न्याय आपके द्वार लोक अदालत में ग्राम पंचायत भुरटिया के मुख्यालय पर दिनांक 06.06.2016 को रखी गई एवं अपीलांट हिन्दुसिंह और उतरदाता किस्तूरचंद दोनों के खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवा दिये। उस समय न तो निर्णय सुनाया गया व न ही निर्णय लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से खानापूर्ति करने और राज्य सरकार के आंकड़े पूरे करने के उद्देश्य से अपीलांटगण का वाद बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 14 नियम 01 से 03 सी पी सी के मुताबिक तनकियात कायम कर दोनों पक्षों से साक्ष्य व सबूत लेकर निर्णित करना चाहिये था। अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत कि इस बेचान में अपीलकर्ता के अधिवक्ता के पिता ने साख डाली तथा बेचानकर्ता तनसिंह की पहचान अपीलांट के वकील हुकमसिंह ने दी। इस बेचान के आधार पर उस समय हुकमसिंह चौधरी ग्राम पंचायत भुरटिया के सरपंच थे उन्होने बाद जांच बेचान के आधार पर नामातंकरण स्वीकृत किया था। उक्त प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 17.08.2017 को सुनकर उसी रोज आदेश पारित किया जाकर रेस्पोडेंट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा चुका है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि प्रकरण में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी द्वारा जबाववदावा दिनांक 10.05.2012 को पेश किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा पेश जबाव का जबाबउलजबाब प्रस्तुत करने हेतु अपीलांटगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 सी पी सी का दिनांक 10.03.2016 को पेश किया गया तथा पत्रावली दिनांक 18.05.2016 को उक्त प्रार्थना–पत्र के जबाव व बहस में रखी गई। दिनांक 18.05.2016 को कोई ऑर्डरशीट नहीं लिखी गई और पत्रावली को अपीलांटगण को बिना नोटिस दिये, बिना बताये न्याय आपके द्वार लोक अदालत में ग्राम पंचायत भुरटिया के मुख्यालय पर दिनांक 06.06.2016 को रखी गई एवं अपीलांट हिन्दुसिंह और उतरदाता किस्तूरचंद दोनों के खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवा दिये। उस समय न तो निर्णय सुनाया गया व न ही निर्णय लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से खानापूर्ति करने और राज्य सरकार के आंकड़े पूरे करने के उद्देश्य से अपीलांटगण का वाद बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 14 नियम 01 से 03 सी पी सी के मुताबिक तनकियात कायम कर दोनों पक्षों से साक्ष्य व सबूत लेकर निर्णित करना चाहिये था। अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2019(1) Page 291
DNJ (SC) 2019 Page 385
CCC (S.C.) 2019(3) Page 117
RRD 1981 Page 512
RLW 2012(4)(Raj.) Page 3050

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि शक्तिसिंह के देहान्त के समय उनका मात्र उतराधिकारी तनसिंह था। शक्तिसिंह के देहान्त के समय उक्त भूमि अपीलांटगण/वादी का कोई हक–हिस्सा नहीं था। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान भूमि क्रय की है और पिछले 25 वर्षों से उक्त भूमि का अभिलेखित खातेदार होने से उस पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण को बिना नोटिस दिये, बिना बताये न्याय आपके द्वार लोक अदालत में ग्राम पंचायत भुरटिया के मुख्यालय पर दिनांक 06.06.2016 को रखी गई। उक्त तारीख को अपीलांट हिन्दुसिंह और उतरदाता किस्तूरचंद दोनों के खाली आर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवा दिये। उस समय न तो निर्णय लिखा गया एवं न ही डिक्री पर्चा जारी किया गया। अपीलाधी निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 01.08.2016 को मांगी गई तथा 03 महिनों तक निर्णय नहीं लिखा गया। अपीलाधीन एकतरफा निर्णय दिनांक 08.09.2016 को लिखा गया तब उसकी नकल दिनांक 09.09.2016 को मिली तथा दिनांक 10.09.2016 से 13.09.2016 तक अवकाश रहा। नकल प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने प्रकरण की सुनवाई बाबत कैम्प में रखने की जानकारी नहीं होने बाबत प्रार्थना–पत्र में तथ्यों का दोहरान किया जबकि अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की गई सुनवाई में हाजिर था तथा आदेशिका पर अपनी उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावे। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त भूमि खतौनी बंदोबस्त ग्राम भुरटिया संवत 2012 से 2031 के मुताबिक खसरा संख्या 437 रकबा 22.09 बीघा बारानी दोयम, खसरा संख्या 443 रकबा 46.06 बीघा बारानी दोयम खसरा संख्या 112 रकबा 180.08 बीघा, खसरा संख्या 445 रकबा 62.05 बीघा बारानी दोयम खसरा संख्या 160 रकबा 110.02 बीघा, खसरा संख्या 430 रकबा 52.

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

13 बीघा शक्तिसिंह वल्द कोजराजसिंह की खुद काश्त खातेदारी भूमि थी जो उनकी फोतैदगी के फलस्वरूप नामातकरण संख्या 108 से उनके वारिस तनसिंह पुत्र शक्तिसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई इस भूमि में से तत्समय खातेदार तनसिंह द्वारा **खसरा संख्या 160 रकबा 110.02 बीघा** शिवलाल पुत्र रेवतीदास को विक्रय करने के **फलस्वरूप जरिये नामांतकरण संख्या 117 (दिनांक 15.10.1968) से अमल दरामद हुआ।** इसी प्रकार **खसरा संख्या 112 रकबा 180.05 बीघा** सहायक जिलाधीश बाड़मेर द्वारा फैसला दिनांक **27.04.1968** से जेठमालसिंह पुत्र सगतसिंह के नाम खातेदारी जरिये नामातकरण संख्या 190 से अमल दरामद हुई। इसी तरह खसरा संख्या 430 रकबा 52.13 बीघा मे से बने खसरा संख्या 430 मूल रकबा 17 बीघा व 430/2 रकबा 29.13 बीघा मे से सहायक जिलाधीश बाड़मेर के निर्णय के फलस्वरूप अलसारण पुत्र फूसाराम वजीर के नाम खसरा संख्या 430 व 430/2 रकबा क्रमशः 17 बीघा, 29.03 बीघा खातेदारी जरिये नामातंकरण संख्या 413 अमल दरामद हुआ। इसके अलावा इस समय तक खसरा संख्या 430, मे रकबा 06.00 बीघा और हस्तांतरित हो चुका था शेष तनसिंह के नाम खसरा संख्या 437, 443, 445 रकबा क्रमशः 22.09 बीघा, 46.06 बीघा व 62.05 बीघा रह गया। तत्पश्चात इसमें से तत्समय खातेदार तनसिंह ने क्रेता कस्तूरचंद निवासी भुरटिया को खेत **खसरा संख्या 445 रकबा 62.05 बीघा** में से **49.10** बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20.07.1987 को बेचदी। इसके फलस्वरूप नामातकरण संख्या 440 से खसरा संख्या 445/1 रकबा 49.10 बीघा किस्तूरचंद के नाम अमल दरामद किया गया। शेष भूमि खसरा संख्या 437 रकबा 22.09 बीघा की जगह केवल 16.09 बीघा रह गया। इसका तात्पर्य है कि 06 बीघा भूमि इस खसरे में भी हस्तांतरित हुई। तत्पश्चात तनसिंह ने अपने **क्रेता पुत्र हिन्दूसिंह पुत्र तनसिंह (अपीलांट संख्या 01) को खसरा संख्या 445 रकबा 12.15 बीघा पंजीबद्ध विक्रय विलेख (दिनांक 02.07.1997)** से विक्रय कर देने के फलस्वरूप नामांतकरण संख्या 538 से हिन्दूसिंह पुत्र तनसिंह खसरा संख्या 445 रकबा 12.15 बीघा के खातेदार बने। तब शेष खसरा संख्या 437 व 443 रकबा 16.08 बीघा व 46.06 बीघा तनसिंह की खातेदारी में शेष रहा। तत्पश्चात तनसिंह की फोतैदगी दिनांक 01.03.2008 पर भरे गए नामातकरण संख्या 618 (दिनांक 18.07.2009) मुताबिक खसरा संख्या 443 व 1051/437 रकबा क्रमशः 46.06 बीघा व 16.08 बीघा उनके वारिस हिन्दूसिंह (अपीलांट संख्या 01), गुमानसिंह (अपीलांट संख्या 02) पिता तनसिंह, समन्दकंवर पत्नी तनसिंह के नाम खातेदारी में अमल दरामद हुआ। दावे के वक्त सहखातेदार रूप में अंकित समन्दकंवर को पक्षकार रूप में सम्मिलित ही नहीं किया गया। अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा का अवलोकन किया। जिसमें उन्होंने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner